RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004

फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486

E-mail : coldstorage@satyam.net.in; coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 मई, 2013 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 9, अंक : 12

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

इस समय की भीषण गर्मी का प्रकोप आप सभी सहन कर रहे होंगे। मई की गर्मी ने शीतगृहों को काफी परेशान करा। बढ़ते हुए तापमान से शीतगृह कक्षों के तापमान को गिराने में काफी समस्या पैदा हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या बिजली सप्लाई की है।

उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में शीतगृहों को आठ घंटे से बारह घंटे की बिजली सप्लाई हो रही है जो कि उनके लिए बहुत कम है। कई जगह तो आठ घंटे की बिजली भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि कई घंटे तो वोल्टेज भी इतना कम आता है कि मशीनें नहीं चल पाती और बीच–बीच में ब्रेकडाउन अलग होते रहते हैं। शीतगृह अपने डीजल जेनेरेटिंग सेट चलाते–चलाते परेशान चल रहे हैं। जैसे बिजली सप्लाई व्यवस्था चरमर्रा रही है डीजल जेनेरेटिंग सेट का भी बुरा हाल हो चुका है। यह जेनेरेटिंग सेट एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ही रखे जाते हैं ना कि मुख्य व्यवस्था। अगर ऐसा ही सम्भव होता तो डीजल सेट होते हुए शीतगृह बिजली कनेक्शन क्यों लगवाते ? अब शीतगृहों को दोनों व्यवस्थाओं का फुल चार्ज देना पड़ रहा है, बिजली मिलती नहीं एमडीआई चार्ज पूरा लग जाता है।

भण्डारित आलू के रेट भी गिरावट की ओर ही हैं। इस प्रकार भण्डारणकर्ताओं को घाटे का सामना करना पड़ रहा है।

आलू की निकासी बहुत धीमी गति से चल रही है क्योंकि आलू उत्पादकों द्वारा काफी बड़ी मात्रा में आलू घरों में रोक लिया गया, उसे भण्डारण के लिए शीतगृहों में नहीं भेजा, जिसे वह अब धीरे–धीरे बाजारों में ला रहे हैं। इस कारण शीतगृहों से निकासी काफी मात्रा में बाधित हो रही है।

आलू गर्म भण्डारित होने से, बिजली कम मिलने से व आलू की खुदाई निश्चित समय से देर से होने के कारण, इस वर्ष कहीं–कहीं अंकुरण की समस्या भी आ रही है। कुछ जगह भण्डारण के समय हल्का दागी आलू भी भण्डारित हो गया था जो कि अब थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। शीतगृहों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारी शीतगृहों को सलाह है कि वह नियमानुसार काम करते हुए भण्डारणकर्ताओं को सूचित करते रहे कि भण्डारित माल की अवस्था क्या है। यदि ठीक नहीं है तो भण्डारणकर्ता शीतगृह का भण्डारण प्रभार चुका कर अपने माल को शीतगृह से निकालने की व्यवस्था शीघ्र अति शीघ्र करें। इस समय तो ऐसे भण्डारित माल पर घाटा ना के बराबर होगा। यदि यही खराबियाँ बढ़ती गई तो हानि भी बढ़ती जायेगी।

विद्युत सम्बन्धी : विशेषतः उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास विद्युत के Independent Feeder है

उन तमाम विद्युत उपभोक्ताओं को यह खुशी की खबर है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह फैसला दिया है कि जो भी उपभोक्ता स्वतंत्र पोषक पर है उन्हें कम से कम 16 से 18 घंटे बिजली अवश्य दी जाए। यहाँ पर न्यायालय ने निर्णय में स्वतंत्र पोषक की परिभाषा नहीं दी है, अतः हमारे विचार से वह सभी पोषक स्वतंत्र पोषक माने जाने चाहिए जो 33000 वोल्ट के सब–स्टेशन से निकलते हो। इस निर्णय को पूरी तरह समझने के लिए हम यहाँ पर निर्णय की कापी प्रस्तुत कर रहे हैं। जिससे कि आप इसे पूरी तरह से समझ लें और इस का लाभ उठाये। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह निर्णय 1976 के शीतगृहों के हित में आया है जिससे यह स्पष्ट है कि शीतगृह अवश्य ही 33000 वोल्ट से सम्बन्धित होगा और जिस फीडर को बनाने की कीमत शीतगृह या शीतगृहों ने दी होगी।

Court No. - 3

Case :- WRIT - C No. - 21858 of 2013

Petitioner :- MIS Om Cold Storage And Another

Respondent :- State Of U.P. And 4 Others

Petitioner Counsel :- B.C. Rai

Respondent Counsel :- C.S.C., A.L. Yadav

Hon'ble Laxmi Kanta Mohapatra. J.
Hon'ble Rakesh Srivastava, J.

Heard Shri B.C. Rai, learned counsel for the petitioners, learned standing counsel appearing for respondent no. 1 as well as Shri Sanjay Ram Tripathi holding brief of Shri A.L.Yadav, learned counsel appearing for respondents no. 2 to 5.

The case of the petitioners is that the respondents sanctioned 125 HP load to the petitioner no. 1 on 1.8.1978 with an assurance that they shall provide continuous electricity supply to the cold storage for 18 hours. The petitioner no.1 agreed to bear the cost of independent feeder and power supply was released for the independent feeder, constructed at the cost of petitioner no. 1. Thereafter in course of time additional load was also allowed and it was agreed that the supply of electricity shall be regularly made to the independent feeder.

In 2012 the Government of U.P. formulated industrial policy wherein a provision was made to the effect that power supply to the industrial category of consumers be exempted from power cut. Accordingly, all the distributor licensees were informed. The petitioners thereafter made a representation on 11.3.2013 putting their grievances with regard to supply of electricity and requested for supply of electricity for 24 hours as their units were being supplied from independent feeder. On the basis of such representation, it appears that in annexure-8 to the writ application a letter has been written to the Managing Director of the Corporation intimating therein that if the independent feeder was converted into industrial feeder, 24 hours power

supply could be given and at the same time there would be an increase in revenue, but no decision has been taken. It is stated by the learned counsel for the petitioner that power supply to the cold storage has been reduced to 10 hours a day causing huge loss. Since the petitioners were getting electricity supply for 18 hours a day, having paid for the cost of independent feeder, there was no reason on the part of respondents to reduce the supply from 18 to 10 hours. The agreement also provides that the petitioners unit shall be given power supply from 16 to 18 hours a day.

We, therefore, dispose of the writ application with the following directions :

(1) The petitioner be supplied electricity for at least 16 to 18 hours a day, as was being done earlier, forthwith from the independent feeder, constructed at their cost.

(2) If the petitioners insist upon supply of 24 hours electricity supply a day, as prayed in the writ application, appropriate steps be taken immediately for converting the independent feeder into industrial feeder, and the petitioners be supplied 24 hours electricity supply without interruption.

(3) This exercise be completed within fifteen days from the date of communication of the order.

Order Date : 26.4.2013

vs

विद्युत सम्बन्धीः विशेषतः उन शीतगृहों के लिए जिनकी स्थापना वर्ष 2004 के बाद हुई है।

कृपया ध्यान दें कि सारे औद्योगिक यूनिट जो वर्ष 2004 के बाद स्थापित हुए है उन्हें दस वर्ष के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है व ऐसे यूनिट जो पायनियर यूनिट गिने गये उन्हे यह छूट 15 साल के लिए दी गई। अतः 2004 के बाद स्थापित यूनिट अपनी स्थापना से दस वर्ष/15 वर्ष बाद तक इस सरकारी आदेश का फायदा उठा सकते हैं। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय का आदेश प्रस्तुत कर रहे हैं।

Chief Justice's Court

Case :- MISC. BENCH No. - 2484 of 2013

Petitioner :- MIS M.L.Agarwal Steel & Alloys Pvt.Ltd. Through Its Director

Respondent :- State Of U.P.Thr. Industrial Development Commissioner & Ors.

Petitioner Counsel :- Vishal Dixit, Mohd. Rafi

Respondent Counsel :- C.S.C., Prashant Arora

Hon'ble Shiva Kirti Singh, Chief Justice
Hon'ble Devendra Kumar Arora J.

On hearing learned counsel for the petitioner and learned counsel for the U.P. Power Corporation Limited (hereinafter referred to as 'Corporation'), it is noticed that petitioner has based his claim for exemption from electricity duty for a period of 10 years since the date of establishment I obtaining power connection for his Unit upon Industrial & Service Sector Investment Policy-2004 issued by the State Government contained in Annexure-2 and Notification of the State Government dated 21st January, 2010 contained in Annexure-3 to the writ petition.

It has been submitted that Annexure-3 refers to the policy of 2004 issued on 19th February, 2004 and only with a view to implement the said policy, the Notification has been issued directing that all new Inr1ustrial Units as well as new Units declared as 'Pioneer Units' shall be exempted from electricity duty for a period of, ten years and fifteen years respectively.

There appears some substance in the submission lhat the Units established after February 19, 2004 may be entitled to be treated as new Industrial Units in terms of the policy of 2004 and thus, they are entitled for exemption for ten years or 15 years as the case may be.

Learned counsel for the Corporation has drawn our attention to Annexure-5 dated 23rd April, 2011 issued by the Chief Engineer. That letter addressed to Managing Directors of different Power Distribution Corporations in the State of U.P. seeks to clarify that benefit of exemption to the new Units shall be available from

the issuance of Notification dated 21st January, 2010. The clarification issued by an officer is not expected to override the Industrial Policy already declared by tbe State Government in 2004 and the State Government's Notification issued on 21st January, 2010.

The demand of electricity duty at the rate of 7.5% on demand and energy charges under challenge is contained in Bill of February, 2013 annexed as Annexure-10 to the writ petition and hence, the period is also subsequent to 21st January, 2010, in case, the clarification order is ultimately held to be valid. The letter of clarification no doubt refers to an order of the State Government dated 7th of April, 2011 which is not available on record but if that helps the respondent Corporation, the same may be produced on the next date.

Till the next date of listing, the demand in respect of electricity duty as contained in Annexure-l0 shall remain stayed in view of categorical statement in the writ petition that the petitioner's Unit was established sometimes in the year 2006.

Order Date :- 22.3.2013

RK

नई टेलीफोन डायरेक्ट्री के सम्बन्ध में अंतिम अपील

अपने सभी सदस्यों से वर्ष 2013 की डायरेक्ट्री के लिए अंतिम बार अपील कर रहे हैं कि वह अपने बारे में सही जानकारी इस फार्म पर शीघ्र–अति–शीघ्र भेजें और यदि अपना फोटो भी छपवाना चाहते हैं तो फोटो भी भेज दें। जून के अतिम सप्ताह में डायरेक्ट्री छपने चली जायेगी, अतः हमारे लिए अंतिम सप्ताह जून 2013 के बाद किसी प्रकार का फेर बदल कर पाना सम्भव नहीं होगा। साथ में यदि आप अपनी जनपद के पूर्ण रूप से बन्द होने वाले शीतगृहों के बारे में जानकारी भी दे दें तो हमारी डायरेक्ट्री बहुत सही हो जायेगी। इस समय डायरेक्ट्री में बहुत से शीतगृहों के नाम ऐसे आ गए हैं जो वर्षों से बन्द पड़े हैं या पूर्णरूप से बन्द हो गए है या पूर्ण रूप से टूट चुके हैं। कुछ ऐसे शीतगृहों के नाम हमें नहीं मिले हैं जो चल तो रहे हैं परन्तु उनके नाम हमारी डायरेक्ट्री में नहीं छपे हैं। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि जिन शीतगृहों के नाम छपेंगे उनका हमारा सदस्य होना जरूरी है। डायरेक्ट्री में तो हम हर स्थापित शीतगृह का नाम देना चाहते हैं।

डायरेक्ट्री 2013

फोटो के पीछे अपेना नाम व शीतगृह का नाम लिख दें।

1. शीतगृह का नाम : .....

.....

2. शीतगृह का पता : .....

.....

3. वह पता जिस पर पत्र व्यवहार चाहते हों : .....

.....

.....

4. शीतगृह की क्षमता कुन्तल में : .....

5. कृषि उत्पाद जो भण्डारित करते हों : .....

.....

6. एस.टी.डी. कोड/टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नम्बर : .....

7. ई–मेल पता : .....

8. मुख्य सम्पर्क व्यक्ति का नाम जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर/पार्टनर/मैनेजर आदि .....

.....

.....

नोट : हमसे तुरन्त सम्पर्क के लिए व हमसे तुरन्त उत्तर प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल पता अवश्य लिखें।

कृपया ध्यान दें

शीतगृहों के संचालन में यह ध्यान देने योग्य बात है कि शीतगृह अनेक कानूनों से बंधे हुए हैं।

हमारे संज्ञान में आया है कि बहुत से शीतगृहस्वामी इन तमाम एक्टो के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। यह माना जा सकता है कि इन एक्टो के बारे में विस्तृत जानकारी न हो और इनके द्वारा पैदा हुई समास्याओं का हल आपको इन एक्टो से सम्बन्धित सलाहकारों से आसानी से मिल जाए परन्तु इन दो एक्टो जैसे कोल्ड स्टोरेज एक्ट 1976, व Electricity Act 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी अत्यन्त आवश्यक है। हम अपने सदस्यों को बराबर चेतावनी देते रहते हैं कि वह अपने पास कोल्ड स्टोरेज एक्ट 1976 वा नियमावली 1976 अवश्य रखें। इसी के साथ हर सदस्य के पास Electricity Act 2003, Electricity Distribution Code 2005 वा सबसे बाद में आई विद्युत की दरें यानि विद्युत टैरिफ अपने पास अवश्य रखें।

नीचे दिये वह एक्ट है जिनके अन्तर्गत शीतगृह आते हैं।

1. Uttar Pradesh Regulation of Cold Storage Act 1976
2. Electricity Act 2003 इलेक्ट्रिक सिटी एक्ट 2003
3. Companies Act या Partnership Act
4. Factory Act :
   - (a) Minimum Wages Act
   - (b) Bonus Act
   - (c) Provident Fund Act
   - (d) Employee State Insurance Act
5. Pollution Control Act
6. Fire Safety Act

श्री ललित मोहन अग्रवाल, गिरधर कोल्ड स्टोरेज, कानपुर से साभार प्राप्त, जिसे हमने थोड़ा संशोधित किया है।

FEDERATION OF COLD STORAGE ASSOCIATIONS OF INDIA

Regd. Office : Swarup Cold Storage, Aishbagh, Lucknow (U.P.) Pin - 226004
Phone : 0522-2242486, Fax : 91-0522-2242486, Mob. : 9335019355, 9415418566
E-mail : coldstorage@satyam.net.in, coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

Regd. No. 907-2001/2

Mahendra Swarup - President, **Rampada Paul** - Vice President (North), **Ashish Guru,** Vice President (South)
Mukesh Kr. Aggarwal - Hony. Secy., **B.L. Jaju** - Dir. Incharge and Finance Controller, **S.N. Ashraf** - Jt. Secy. and Dir. Coordination,
Kulwant Singh Saini - Director Information & Revenue, **Rajesh Goyal** - National Coordinator, **Gubba Nagender Rao** - Coordinator (South)
Engr. Major Md. Jasimuddin (Retd.) President, Bangladesh Cold Storage Association (International Coordinator)

TOGETHER WE PROGRESS

देश के विभिन्न प्रान्तों से शीतगृहों से आलू निकालने के समाचार मिल रहे हैं लेकिन निकासी की रफ्तार बहुत कम है व आलू के रेट नीचे की ओर जा रहे हैं। पूरे भारत में आलू उत्पादन क्षेत्रों में काफी मात्रा में आलू किसानों ने अपने घरों में रख रखा है और उसे शीतगृहों में भण्डारण के लिए नहीं भेजा। अब इस आलू को वह धीरे–धीरे बाजारों में भेज रहे हैं जिससे शीतगृहों से आलू निकालने में काफी रुकावटें आ रही हैं। बाजार भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। भण्डारणकर्ताओं को सारे भारत में हानि का सामना करना पढ़ रहा है। दक्षिण प्रदेशों में जहाँ ट्रक जाने में काफी समय लगता है शीतगृह के आलू की माँग अवश्य है परन्तु उसका भी रेट सही नहीं मिल पाने के कारण आलू के व्यापारियों को घाटा उठाना पड़ रहा है। आशा है भविष्य में निकासी बढ़ेगी और भाव भी सुधरेंगे।

पश्चिम बगांल : बड़े हर्ष के साथ हम सूचित कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस वर्ष शीतगृहों में भण्डारण प्रभार पर 19 रूपए प्रति कुन्तल बढ़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यहाँ यह ध्यान रहे कि केवल पश्चिम बगाल ही ऐसा प्रदेश है जिसमें भण्डारण प्रभार पर सरकारी कंट्रोल है। (हमें मिली सूचना के अनुसार शायद त्रिपुरा दूसरा प्रदेश है लेकिन वहाँ पर भण्डारण क्षमता ना के बराबर है।) अभी तक पश्चिम बंगाल में 101 रूपए प्रति कुन्तल प्रति वर्ष का रेट निर्धारित था जो कई वर्षों से चल रहा था। इस प्रकार वर्ष 2013 का भण्डारण प्रभार 120 रूपए प्रति कुन्तल हो गया है। यह प्रभार भी बेहद कम है जिस पर पश्चिम बंगाल के शीतगृह बराबर अपना प्रतिवेदन दे रहे हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें घोर घाटे से बचाया जाए। शीतगृह उद्योग को भण्डारण प्रभार नियंत्रण से मुक्त करा जाये।

कानपुर के शीतगृहों ने जो कि फल व किराने का भण्डारण करते है एक मीटिंग करके अपने भण्डारणकर्ताओं को भण्डारण करने के लिए लाये गये माल के बारे में सही जानकारी देने की चेष्टा करी है जो की प्रशंसा के योग्य है। उनके द्वारा दी गई जानकारी हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे

हैं। हम चाहते है कि हमारे सदस्य भी इस जानकारी को ध्यान से पढ़े और अधिक से अधिक जानकारी भण्डारणकर्ताओं को देने की चेष्टा करें। इसमें सभी का हित है।

फल एवं किराना एसोसिएशन फजलगंज, कानपुर

सभी फल व किराने के भण्डारकों के संज्ञान में निम्नलिखित लाना शीतगृह का फर्ज बनता है ताकि भण्डारित किए जाने वाले फल एवं किराना का रख–रखाव तकनीकी ढंग से सही–सही होता रहे तथा भण्डारक या शीतगृह को सही व उचित जानकारी न होने के कारण नुकसान न हो।

1. शीतगृह को उ.प्र. सरकार द्वारा दिया गया लाइसेंस केवल एक वर्ष के लिए ही वैध होता है इसके पश्चात् प्रति वर्ष नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
2. लाइसेंस नियमावली के अन्तर्गत सभी तरह के कृषि उत्पाद ही भण्डारित करने का प्रावधान होता है।
3. सभी कृषि उत्पाद साल के बारहों महीने के अन्दर दुबारा अलग–अलग उपजते रहते हैं जिसका जब सीजन रहता है।
4. उपरोक्त के अनुसार भण्डारित किया गया कृषि उत्पाद इसलिए भण्डारित किया जाता है कि अगली फसल आने तक पिछली फसल का सामान आसानी से तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध होता रहे तथा उपभोक्ता एवं किसान की सुविधा हो सके।
5. प्रायः ऐसा देखा गया है कि कुछ कृषि उत्पाद बारह महीनों तक भण्डारण करने योग्य नहीं होते हैं जैसे संतरा, अंगूर, मौसमी, अनार, सरदा, कीबी, लूचा आदि तथा इस प्रकार के पदार्थ दो या तीन महीने के अन्दर ही शीतगृह से निकाल कर बाजार में बिक्री कर लेना चाहिये अन्यथा वह तकनीकी दृष्टि से खाने योग्य नहीं रह जाता है तथा शीतगृह के अन्दर सड़ने के कारण वातावरण को दूषित करने लगता है तथा अन्य भण्डारित किए हुए माल पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे माल को यदि मालधनी तीन महीने तक नहीं निकालता है तो शीतगृह को लाचार होकर अपने खर्चे से बाहर फेंकना पड़ता है तथा किराए की भी हानि उठानी पड़ती है।
6. कुछ कृषि उत्पाद एक साल तक भी भण्डारित रहने पर तकनीकी रूप से ठीक रहते हैं परन्तु नई फसल आने के बाद ऐसे पिछले वाले माल को आगे भण्डारित रखते रहना उचित नहीं रहता। बाजार भाव तो नई फसल आने पर अवश्य ही कम हो जाते हैं इसलिए पिछले

सीजन का माल नई फसल आने से पहले ही निकाल लिया जाना चाहिए अन्यथा दोनों को नुकसान की संभावना ही रहती है।

7. प्रायः ऐसा देखा जाता रहता है कि जो माल एक साल से ऊपर भण्डारित रह जाता है उसमें नुकसान ही होता है और कभी–कभी तो शीतगृह का भण्डारण प्रभार भी नहीं निकलता है अतएव व्यापारी माल छुड़ाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता है और अन्ततः दोनों नुकसान के भागीदार होते हैं। ऐसी दशा से बचने के लिए हमको पहले ही से सावधान हो जाना चाहिये।

8. उपरोक्त से बचने के लिए यह उचित होगा कि भण्डारित किये गये पदार्थ को बारह महीने से पहले ही शीतगृह का प्रभार अदा करके निकाल लिया जाये तथा यदि कोई व्यापारी नहीं निकालना चाहता है (भविष्य में तेजी दिखती है) तो नया सीजन से पहले किराया अदा करके चाहे तो आगे भी भण्डारित रख सकता है।

FOR SALE

1.	Name of Cold Store and Location	:	Mujeebsons Exports Pvt. Ltd. Village Sainta Khera Tanda, District Rampur
1.	Area of Land	:	60 Bigas Approx.
2.	Capacity PF Cold Store	:	3 Lacs Katta or 150000 Quintals
3.	Details of Machinery	:	(a) 8×8 Ice Hill - 1 PC (b) 8×8 Ice Hill - 1 PC (c) 9×9 Ice Hill 4 Cylinder 1H 30 - 1 PC (d) IH 40 4 Cylinder Ice Hill - 1 PC (e) Metalex 4 Cylinder KC 4 - 1 PC (f) Kirloskar 6 Cylinder KC 6 - 1 PC
4.	Details of Generators	:	(a) 1×200 KVA Cummins (b) 1×200 KVA Cummins (c) 1×62 KVA Shaktiman (d) 1×30 KVA Tata Engine
5.	Our own Transformer	:	320 KVA
6.	Electricity Load	:	250 KVA
7.	Dependent Feeder	:	Connected to 132 Power Station in same primises
8.	Our Office and Residence	:	(a) About 3000 Sq. Ft. two floors (b) 4 Halls for Storage (c) About 20000 Sq. Ft.

Asking Price 15 Crore (Negotiable)

Contact :
Mujeebsons Exports Pvt. Ltd.
Corporate Office : Mujeeb Wajid House, Lane No. 2, Peerzada Road,
Moradabad-244001 (U.P.) Phone : 0595-2535341

9. शीतगृह को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष की आमदनी (अनुमानित) जो माल 31 मार्च तक नहीं निकल पाता है उस पर भी लाभ जोड़कर उस पर अग्रिम कर जमा करना पड़ता है अन्यथा ब्याज तथा जुर्माना देने का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधान प्रथम जून, 2013 से लागू किया जाना है, हम सभी लोग सहमत हैं :–

हस्ताक्षर

1. गिरधर कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
2. महालक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
3. कानपुर शीतालय प्रा. लि.
4. राम कोल्ड स्टोरेज
5. सब्बरवाल कोल्ड स्टोरेज
6. रामदेवी शान्ती कोल्ड स्टोरेज
7. कानपुर आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज
8. आमिर शीतगृह प्रा. लि.
9. राधारानी कोल्ड स्टोरेज

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2011-13

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित